न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
देवीलाल बनाम सरकार
GCMS No- 2022/681
प्रकरण संख्या 222 / 2022

...यालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 222 / 2022
जीसीएमएस न0 2022 / 681

1 श्रीमति सुलताना बेगम पत्नि श्री शाकिर अली जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.... प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री मदनलाल चपलोत – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 25.01.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा ए तह0 निम्बाहेड़ा के खाता सख्या 55 की आराजी नं0 1401 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। जिसमें प्रार्थीया का 1 / 15 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड चला आ रहा हैं।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाके मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा ए तह0 निम्बाहेड़ा की आराजीयात जिसके पुराने आराजी नं० 2515 / 1071 जो फतहसिंह पुत्र रतनसिंहजी महाजन निवासी निम्बाहेडा के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी उक्त आराजीयात में से रकबा 0.0120 हे0 भूमि श्रीमति सुलतानाबेगम पत्नि श्री शाकिर अली जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा ने पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय कर कब्जा प्राप्त किया था, जिसका विधिवत रुप से प्रार्थीया के खातेदारी मे दर्ज होकर संवत् 2052–2057 की जमाबंदी में दर्ज हुई और प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त मे चली आ रही थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त आराजीयात जिसके नये आराजी नं0 1401 में प्रार्थीया के पति का नाम साबिर अली अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती से हुआ है, जबकि प्रार्थीया के पति का नाम शाकिर अली हैं। इसलिए नवीन राजस्व रेकार्ड में पुराने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार प्रार्थीया का सही नाम सुलताना बेगम पत्नि शाकिर अली राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ... उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.02.15 10:17:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्र दिनांक 20.08.2002 के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, जिसका विधिवत रुप से प्रार्थीया के खातेदारी मे दर्ज होकर संवत् 2052–2057 की जमाबंदी में दर्ज हुई और प्रार्थीया के खातेदारी कब्जे काश्त मे चली आ रही थी परन्तु लेखनीय भूल की वजह से उक्त आराजीयात जिसके नये आराजी नं0 1401 में प्रार्थीया के पति का नाम साबिर अली अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती से हुआ है, जबकि प्रार्थीया के पति का नाम शाकिर अली हैं। इसलिए नवीन राजस्व रेकार्ड में पुराने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार प्रार्थीया का सही नाम सुलताना बेगम पत्नि शाकिर अली राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर किया जाने की अनुशंषा की।

4. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि संवत् 2077–80 की खाता संख्या 55 पुराने आराजी नं० 2515/1071 जिसके नये आराजी नं0 1401 में प्रार्थीया के पति का नाम साबिर अंकित कर दिया जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती से हुआ है, जबकि प्रार्थीया के पति का नाम शाकिर अली हैं। इसलिए नवीन राजस्व रेकार्ड में पुराने राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अनुसार प्रार्थीया का सही नाम सुलताना बेगम पत्नि शाकिर अली राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर तरमीम कर पुनः शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा संवत् 2077–80 की खाता संख्या 55 पर दर्ज खातेदार का नाम लेखनीय भूल से प्रार्थीया के पति का नाम साबिर अंकित कर दिया ,जबकि प्रार्थीया के पति का नाम शाकिर अली हैं जो वर्तमान तक चला आ रहा है जो प्राथीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज, नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति दिनांक 17.10.2002, अवधि बन्दोबस्त की प्रमाणि प्रति, नकल जमाबन्दी 2058–2062,विक्रय विलेख की प्रति पेश की जिसमे प्रार्थीया श्रीमति सुलताना बेगम पत्नि श्री साबिर अली के बजाय शाकिर अली होना प्रमाणित होता है।

आदेश

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि **संवत् 2077–80 मौजा निम्बाहेडा पटवार हल्का निम्बाहेडा ए तह0 निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 55 की आराजी न0 1401 में खातेदार सुलताना बेगम पत्नि श्री साबिर अली के बजाय सुलताना बेगम पत्नि श्री शाकिर अली हिस्सा 1/15 जाति मूसलमान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।** तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

7. निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

25/1/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.02.15 10:17:06 IST
Reason: SelfAttested